

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि०स्था०-32/2025/विभागीय अधिसूचना सं० 39 दिनांक 30.06.2025 द्वारा निर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी आदेश को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

(i) उक्त अधिसूचना के क्रमांक 21 पर अंकित श्री रामाशंकर पासवान के वर्तमान पदस्थापन "प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE)" के स्थान पर "प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE), नवादा" पढ़ा जाय।

(ii) उक्त अधिसूचना के क्रमांक 23 पर अंकित श्री कुमार विकास रजक को प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार "1. प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर" को विलोपित समझा जाय।

2. अधिसूचना सं० 39 दिनांक 30.06.2025 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। शेष कंडिका यथावत रहेंगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

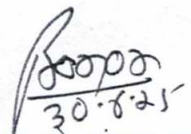
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/प्रशि०स्था०-32/2025 श्र०सं०.....41...../

पटना-01 दिनांक- 30/6/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषगार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारियों/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30-6-25
सरकार के संयुक्त सचिव